न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 481 सन 2022

अनवान :–

1. सर्वजीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरप्रीतसिह पुत्र सरजीत सिह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सर्वजीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 141/140 की कुल 2.3800हैक में से 1163/1190 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एवं वादी संख्या 2 का दादा था कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपनी चल /अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 11.01.2019 को अपनी स्वैच्छा से गवाहान की उपस्थिति मे अपने पौत्र/पुत्रवधु वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी।

वादी संख्या 2 के दादा एव वादी संख्या 1 के ससुर कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का देहान्त दिनांक 15.05.2022 को हो चुकी है कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के देहान्त होने के बाद कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वादीगण वाद भूमि के हकदार है जो कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज भूमि वसीयत के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी का कोई ऐतराज प्रस्तुत नही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 141/140 की कुल 2.3800हैक मे से 1163/1190 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एवं वादी संख्या 2 का दादा था कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह जाति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपनी चल /अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 11.01.2019 को अपनी स्वैच्छा से गवाहान की उपस्थिति में अपने पौत्र/पुत्रवधु वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी।

वादी संख्या 2 के दादा एवं वादी संख्या 1 के ससुर कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का देहान्त दिनांक 15.05.2022 को हो चुकी है कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के देहान्त होने के बाद कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वादीगण वाद भूमि के हकदार है जो कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अपने कथनो की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी वर्ष– 2006–07 पेज 59 व आरआरडी 1978 पेज 16 पेश किये

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने कवलन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 141/140 की कुल 2.3800हैक में से 1163/1190 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह जाति जटसिख जो वादी संख्या 1 के ससुर एव वादी संख्या 2 का दादा था ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में करवाई गई थी वादीगण ने अपने कथनो की पुष्टि में कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के द्वारा करवाई गई वसीयत की प्रति पेश की गइ वसीयत के अनुसार कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में करवाये जाने की पुष्टि होती है।

वादीगण का कथन है कि वसीयतकर्ता कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का देहान्त हो चुका है कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के देहान्त होने पर कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वादीगण वाद भूमि वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने अपने कथनो के समर्थन में प्रस्तुत कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का देहान्त हो चुका है तथा कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के देहान्त होने पर कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अनुसार कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के द्वारा अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में करवाई गई थी वसीयत प्रति से साबित है तथा कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का देहान्त हो चुका है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह की वसीयत के अनुसार कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह के देहान्त होने पर वादीगण वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण के वाद प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 141/140 की कुल 2.3800हैक में से 1163/1190 हिस्सा भूमि में मृतक कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी सख्या 1 के तथा 4/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सर्वजीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरप्रीतसिह पुत्र सरजीत सिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सर्वजीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 481 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 141/140 की कुल 2.3800हैव में से 1163/1190 हिस्सा भूमि में मृतक कुलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के तथा 4/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner